राजस्थान सरकार

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट,अजमेर (राजस्थान)

प्रार्थना पत्र संख्या 35/2025

1. मैसर्स एन.के. फेब्रिक्स प्रोपराईटर श्री दिनेश कुमार गर्ग पुत्र श्री नेमीचंद गर्ग, निवासी आजाद नगर, मदनगंज, किशनगढ जिला अजमेर।
2. दिनेश कुमार गर्ग पुत्र श्री नेमीचंद गर्ग, निवासी आजाद नगर, मदनगंज, किशनगढ जिला अजमेर।
3. श्रीमती कृष्णा देवी गर्ग पत्नी श्री नेमीचंद गर्ग, पता गर्ग निवास, आरोग्य मार्ग, देव डूंगरी, आई. सी.आई.सी.आई. वाली गली, अजमेर रोड़ मदनगंज, किशनगढ जिला अजमेर

.....प्रार्थी

बनाम

1. बैंक ऑफ बडौदा शाखा कार्यालय किशनगढ मुख्य शाखा मदनगंज, किशनगढ जिला अजमेर।
2. श्री कमलेश कुमार मीणा, प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा मुख्य शाखा मदनगंज, किशनगढ जिला अजमेर

..... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 379 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

उपस्थित ... 1. श्री अभिनव राजोरिया — अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री रामनरेश विजय — अभिभाषक अप्रार्थी 1
3 श्री राजीव शर्मा — अभिभाषक अप्रार्थी 2

आदेश दिनांक– 06.02.2026

पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। उभय पक्ष को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 379 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पर सुना गया। वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया गया की अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण को दिनांक 12.06.2025 को धारा 13 (2) सरफेसी एक्ट का नोटिस प्रेषित किया गया था, जिसे अप्रार्थीगण द्वारा गलत तथ्यों एवं सही विधिक प्रकिया नहीं अपनाते हुये प्रार्थीगण को प्रेषित किया गया था, जिसके तहत प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 को जवाब नोटिस दिनांकित 14.08.2025 को ईमेल द्वारा प्रेषित किया गया था एवं प्रार्थी के ऋण खाते में प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 11.08.2025 को राशि 7,00,000/– अक्षरे सात लाख रूपये का भुगतान किया गया था, जिसे उसके ऋण खाते में समायोजित किया गया था। उक्त तथ्यों के बावजूद भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण का ऋण खाता नियमित नहीं किया गया उससे पीड़ित होकर प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 30.08.2025 को न्यायालय श्रीमान् Debt Recovery Tribunal Jaipur में अप्रार्थीगण के विरूद्ध Securitization Application No 616/2025 व डायरी नम्बर 1948/2025 उनवान मैसर्स एन.के. फेब्रिक्स व अन्य बनाम बैंक ऑफ बडौदा व अन्य प्रस्तुत की गई थी, जिसमें माननीय अधिकरण द्वारा दिनांक 18.09.2025 को अप्रार्थी संख्या 1 को यह निर्देशित किया गया था कि "The Tribunal have no objection and if he should clear their entire liability installment by 25-12-2025" उपरोक्त निर्देशो की पालना अप्रार्थीगण द्वारा नहीं की गई एवं अप्रार्थीगण द्वारा श्रीमान के समक्ष दिनांक 14.10.2025 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रीकनस्ट्रक्शन ऑफ फाईनेन्शियल एसेट

जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

एण्ड इनफोसमेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्टरेंस्ट एक्ट 2002 के तहत ऋण/जमानती से बंधक सम्पत्ति का भौतिक कब्जा लेकर बैंक को दिलाये जाने के लिये प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रार्थना पत्र के साथ अप्रार्थी संख्या 2 जो कि अप्रार्थी संख्या 1 के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा शपथ पत्र अन्तर्गत धारा 14 अधिनियम 2002 पेश किया गया था एवं उक्त शपथ पत्र की मद संख्या 12 में उक्त प्रकरण के सबंध में ना तो किसी न्यायालय द्वारा स्थगन दिया गया है और न ही उक्त प्रकरण के सम्बंध में कोई अपील ऋण वसूली प्राधिकरण व अन्य न्यायालय में लम्बित है एवं मद संख्या 8 में ऋणी/सहऋणी को उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत दिये गये मांग नोटिस में दी गई अवधि में प्रार्थी बैंक की बकाया सम्पूर्ण ऋण राशि का भुगतान नहीं किया है और प्राधिकृत अधिकारी अधिनियम की धारा 14 के साथ पठित धारा 13 की उपधारा (4) के उपबंधो के अधीन प्रतिभूमि आस्तियों को कब्जे में लेने का हकदार है। उक्त शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण द्वारा यह अंकित किया गया है कि अप्रार्थीगण द्वारा नियमनुसार भुगतान ना करने पर एन.पी.ए. वर्गीकृत होने के बाद एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत प्रार्थी कम्पनी ने अप्रार्थीगण को दिनांक 12.06.2025 को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा मौके पर ऋणी को नोटिस तामिल कराया गया परन्तु नोटिस प्राप्ति के पश्चात आज प्रार्थना पत्र दायरी तक अप्रार्थीगण द्वारा ना तो सम्पूर्ण बकाया राशि जमा करवाई गई और ना ही बंधकशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को दिया गया एवं अप्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र में यह भी अंकित किया गया कि नोटिस की दिनांक से 60 दिवस के अंदर बैंक के खातो में बकाया सम्पूर्ण ऋण राशि रूपये 1,00,16,439.95 रूपये दिनांक 31.05.2025 तक का ब्याज शामिल करते हुये तथ्य अंकित करते हुये उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जबकि अप्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष झूठे एवं गलत एवं आधारहीन तथ्यों के साथ उक्त प्रार्थना पत्र शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है, चूंकि उक्त प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र दिनांक 14.10.2025 को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। और दूसरी ओर प्रार्थी द्वारा दिनांक 30.08.2025 से अप्रार्थीगण के विरूद्व न्यायालय श्रीमान् Debt Recovery Tribunal Jaipur में अप्रार्थीगण के विरूद्व Securitization Application No 616/2025 उनवान मैसर्स एन.के. फेब्रिक्स व अन्य बनाम बैंक ऑफ बडौदा व अन्य प्रस्तुत कर दिया गया था एवं उक्त प्रार्थना आज भी माननीय अधिकरण के समक्ष न्याय निर्णयन हेतु लम्बित चला आ रहा है। साथ ही उक्त प्रकरण के लम्बित रहते हुए अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण को एक नोटिस दिनाक 07.10.2025 अन्तर्गत धारा 13 उपधारा 4 व 12 अधिनियम का राशि 1,00,16,439.95 रूपये का प्रेषित किया गया था जबकि प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 11.08.2025 को अपने ऋण खाते में 7 लाख रूपये जमा करवा दिये गये थे एवं दिनांक 30.08.2025 को धारा 13(2) के नोटिस से व्यथित होकर अधिकरण के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा चुका था। उक्त सभी तथ्यों को अप्रार्थीगण द्वारा छिपाकर माननीय न्यायालय के समक्ष उक्त प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर न्यायालय को गुंमराह कर एवं झूठी साक्ष्य प्रस्तुत कर माननीय न्यायालय से दिनांक 06.11.2025 प्रार्थना पत्र संख्या 249/2025 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 सरफेसी एक्ट उनवान बैंक ऑफ बडौदा बनाम मैसर्स एन.के. फेब्रिक्स व अन्य में कब्जा प्राप्ति के आदेश प्राप्त कर लिये गये है, जिसमें आवासीय अचल सम्पत्ति वार्ड नम्बर 12, शराब के ठेके के पास, मदनगंज किशनगढ जिला अजमेर जिसका कुल क्षेत्रफल 88 वर्गगज 6 वर्गफुट है, जो श्रीमती कृष्णा देवी गर्ग पत्नी श्री नेमीचंद गर्ग के नाम से है एवं (ख) अचल सम्पत्ति वार्ड नम्बर 12,

जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

शराब के ठेके के पास, मदनगंज किशनगढ जिला अजमेर जिसका कुल क्षेत्रफल 88 वर्गगज 8 वर्गफुट है जो श्रीमती कृष्णा देवी गर्ग पत्नी श्री नेमीचंद गर्ग के नाम से है का आदेश प्राप्त कर लिया है जो कि विधि के विरूद्व एवं न्याय के सिद्वान्तो के विपरीत है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष धोखाधड़ी कर गलत एवं झूठे एवं सही तथ्यों को छिपाते हुये माननीय न्यायालय के समक्ष उक्त प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर माननीय न्यायालय से गलत आदेश पारित करवा लिया है, जो कि विधि के विरूद्व है एवं अप्रार्थीगण का उक्त कृत्य आपराधिक श्रेणी में आता है, अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण के विरूद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही करने एवं उनके विरूद्व आपराधिक मुकदमा दर्ज करने के आदेश न्यायहित में प्रदान करने की कृपा करे।

वकील अप्रार्थी ने अपने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया गया की अप्रार्थी बैंक द्वारा धारा 13(2) सरफेसी एक्ट का विधिक रूप से जारी किया गया था। प्रार्थीगण द्वारा माननीय ऋण वसूली अधिकारण, जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.09.2025 की पालना नही की गई एवं उक्त आदेशानुसार ऋण की राशि का भुगतान अप्रार्थीगण को नहीं किया गया। माननीय ऋण वसूली अधिकरण, जयपुर में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत सिक्योरिटाईजेशन प्रार्थना पत्र लम्बित है, परन्तु टंकणीय त्रुटि एवं सहवन से अप्रार्थीगण द्वारा अपीलीय ऋण वसूली अधिकरण के समक्ष लम्बित न होने का कथन सद्भावनापूर्वक दर्ज हो गया, जिसमें अप्रार्थीगण की कोई दुर्भावना नही थी। इस कारण अप्रार्थीगण माननीय न्यायालय के समक्ष बिना शर्त (Unconditional Apology) क्षमा प्रस्तुत करते है। माननीय ऋण वसूली अधिकरण, जयपुर के समक्ष सिक्योरिटाईजेशन प्रार्थना पत्र/अपील प्रस्तुत होना अथवा नहीं होना माननीय न्यायालय द्वारा धारा 14 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के लिए सुसंगत नहीं है क्योंकि माननीय ऋण वसूली अधिकरण, जयपुर ने माननीय न्यायालय द्वारा धारा 14 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के विरूद्व किसी भी प्रकार का स्थगन आदेश पारित नहीं किया गया था। इसलिए मात्र सिक्योरिटाईजेशन एप्लीकेशन लम्बित होने से माननीय न्यायालय द्वारा धारा 14 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण पर कोई प्रतिकूल अथवा अनुकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा जो आक्षेप उपरोक्त प्रार्थना पत्र में लगाये गये है वे भौतिक तथ्य/मैटैरियल फेक्ट्स नहीं है इस कारण प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है। माननीय ऋण वसूली अधिकरण द्वारा जरिये आदेश दिनांक 18.09.2025 यह आदेशित किया गया है कि यदि प्रार्थीगण बैंक की बकाया राशि जमा नही कराते है तो बैंक अग्रिम कार्यवाही करने के लिए स्वत्रंत होगा। इस कारण भी यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण बैंक की बकाया राशि को जमा नहीं कराना चाहते है एवं केवल मात्र बैंक की कार्यवाही को विलम्बित करने के उद्देश्य से उपरोक्त उनवानी प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है जो पोषणीय नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थीगण ने उपरोक्त प्रार्थना पत्र में सही विधि के एवं तथ्यों के प्रश्न उठाये है जिनके विनिश्चय का माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार नहीं है एवं ऐसे किसी भी प्रश्न का विनिश्चय केवल मात्र माननीय ऋण वसूली अधिकरण द्वारा किया जा सकता है। ऐसी परिस्थितियों में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने से निरस्त फरमावें। वकील अप्रार्थी ने अपने समर्थन में न्यायिक दृष्टांत माननीय सर्वाच्च न्यायालय Criminal Appeals No.1218 Of 2013 With no. 1217 of 2013 decided on 22-

जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

08-2013 (2013), (2001) 5 Supreme Court Cases 407 Manohar Lal V/s Vinesh Anand and others, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की S.B Civil Writ Petition No. 1958/2018 Decided On 09.02.2018 माननीय सर्वाच्च न्यायालय का (2009) 9 Supreme Court Cases 79(2009) 3 Supreme Court Cases (Civ) 620: 2009 SCC Online SC 1476 माननीय केरल उच्च न्यायालय की WP(C) No. 25608 Of 2018 Decided on 27.11.2018 माननीय मद्रास उच्च न्यायालय की Crl.O.P.No.17489 Of 2022 Dated 11.08.2022 माननीय गुजरात उच्च न्यायालय का प्रकरण सं. S.C.A. No. 8480 of 2009 and Civil Application No. 10212 of 2009 Dated 18.11.2009, माननीय उच्च न्यायालय पंजाब एण्ड हरियाणा CWP-31871-2019 Decision Date 11.03.2022 माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद Neutral Citation No. 2016:AHC:16311152-DB Case Writ C No. 30899 of 2016 Order date 21.10.2016 माननीय उच्च न्यायालय पंजाब एण्ड हरियाणा का Civil Writ Petition No. 4892 of 2019 Dated 15.10.2019 माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली का W.P.(C) 10348/2024 Decision Date 06.08.2024, CRL.M.C. 1723/2024 & CRL.M.A. 6607/2024 Dated 01.07.2024 प्रस्तुत किये गये।

हमने उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बैंक ने यह स्वीकार किया है कि अपील लम्बित न होने के बाबत तथ्य त्रुटिवश व टंकण की गलती से हो गया था परन्तु अपील लम्बित होने अथवा न होने से धारा 14 के प्रार्थना पत्र पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है, चूंकि ऋण वसूली अधिकरण जयपुर के समक्ष अपील विचाराधीन थी परन्तु उसमें कोई स्थगन आदेश नहीं था। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 379 के प्रार्थना–पत्र के सबंध में बैंक द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों के परिपेक्ष्य में इस न्यायालय को क्षेत्राधिकार नहीं है। ऋणी को धारा 14 के आदेश के विरूद्ध एवं बैंक द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के सबंध में माननीय ऋण वसूली अधिकरण के समक्ष उचित कार्यवाही करने का अधिकार प्राप्त हैं। यहीं नहीं ऋणी ने इस सबंध में माननीय ऋण वसूली अधिकरण, जयपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है। इन परिस्थितियों में ऋणी का प्रार्थना–पत्र पोषणीय नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

परिणामतः उपरोक्त विवेचन विश्लेषण अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 379 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 06.02.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लोक बंधु)
जिला मजिस्ट्रेट,अजमेर